

अनुलग्नक क. 1.4

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त तथा योजना विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20/12/2005

// अधिसूचना //


क्रमांक एफ 1-6/2003/वित्त (राग.)/चार (52)-भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-झ के खण्ड (3) के साथ पठित छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2003 (क्रमांक 9 सन् 2003) की धारा 3 के उपबंधों के अनुसरण में, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल एतद्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 286/ब-4/चार/2003, दिनांक 22.08.2003 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

// संशोधन //

उक्त अधिसूचना में,

कड़िका 4 में शब्द तथा अंक " 31 दिसंबर, 2005 " के स्थान पर शब्द तथा अंक "30 जून, 2006 " प्रतिस्थापित किये जायें।


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


(के.आर. मिश्रा)
संयुक्त सचिव

रायपुर, दिनांक 20/12/2005

क्रमांक एफ 1-6/2003/वित्त (सम.)/चार- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-6/2003/वित्त (सम.)/चार(52)दिनांक 20/12/2005 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


(के.आर. मिश्रा)
संयुक्त सचिव